

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-26/2015 गृ0आ0 /श्री रामचन्द्र राजगुरु, भा0पु0से0 (2013), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2015 से 14.01.2016 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राजगुरु के अवकाश अवधि में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बगहा अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-26/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जनवरी, 2016
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-26/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जनवरी, 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-26/2015 गृ0आ0 360 /पटना, दिनांक 18 जनवरी, 2016
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रामचन्द्र राजगुरु, भा0पु0से0 (2013), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बगहा / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।